Application Form

vkonu&i=

National Means Cum Merit Examination 2019-20, State Madhya Pradesh

jk"Vªh; ehUl&de&esfjV Nk=ofRr ijh{kk 2019&20] jkT;&e/;izns'k

(Only for the students who are studying in class 8th in schools conducted by govt./govt. aided, local bodies)

¼dsoy e-iz- esa fLFkr 'kkldh;@'kkldh; vuqnku izkIr@LFkkuh; fudk;ks }kjk lapkfyr fo|ky;ksa esa o"kZ 2019&20 esa d{kk 8oha esa v/;;ujr fo|kfFkZ;ksa ds fy,½

(नोट– अंतिम पृष्ठ पर अंकित निर्देशों का पालन करते हुए सावधानीपूर्वक आवेदन–पत्र भरें।)

आवेदक यहाँ अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकायें एवं अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित कराए।

अनुक्रमांक 12 डिजिट में (केवल आफिस कार्य हेतु)

परीक्षा का कोड	राज्य का कोड	वर्ष	केन्द्र का कोड	सरल क्रमांक
3	3 8	2 0		

जन्म तिथि

दिनांक	माह	वर्ष

- विद्यालय (जहाँ परीक्षार्थी अध्ययरत है) का डाइस कोड– *
- परीक्षार्थी का समग्र आई.डी. नंबर– (अनिवार्य) *
- परीक्षार्थी का आधार नंबर *

(Steric columns are mandatory)

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) ....

   अंग्रेजी के केपिटल अक्षरों में (नाम व उपनाम के बीच एक ब्लाक रिक्त छोड़े)

2. पिता का नाम (हिन्दी में)..

   अंग्रेजी के केपिटल अक्षरों में (नाम व उपनाम के बीच एक ब्लाक रिक्त छोड़े)

3. माता का नाम (हिन्दी में) ....

   अंग्रेजी के केपिटल अक्षरों में (नाम व उपनाम के बीच एक ब्लाक रिक्त छोडें)

4. लिंग

1	2
महिला	पुरूष

5. क्षेत्र जहाँ आवेदक रहता है

1	2
ग्रामीण	शहरी

6. आवेदक की जाति (नोट–अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी सामान्य वर्ग में मान्य होंगे)

1	2	3
सामान्य (GEN)	अ.जा. (SC)	अ.ज.जा (ST)

क्रमांक 6 की जानकारी के लिये (आवेदक स्वंय के नाम का संबंधित जाति प्रमाण पत्र लगाये)

7. क्या निःशक्तजन श्रेणी में आरक्षण हेतु विद्यार्थी 40% या इससे अधिक विकलांग है [1] हाँ [2] नहीं

8. यदि हाँ, तो निःशक्त विद्यार्थी की विकलांगता का प्रकार (प्रमाण पत्र लगाये)

[1] अस्थि बाधित [2] श्रवण बाधित [3] दृष्टि बाधित [4] मानसिक विकलांगता [5] बहु विकलांगता [6] कोई नहीं

9. विद्यालय का नाम एवं पता जहाॅ आवेदक कक्षा आठवीं में पढ़ रहा है (हिन्दी में)...

....संकुल केन्द्र ....

ब्लाक...जिला...पिन ....

अंग्रेजी में (केपीटल अक्षर में)

संकुल केन्द्र																					
विकासखण्ड																					
जिला																					

पिन – [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

10. विद्यालय का प्रकार जहाॅ आवेदक कक्षा आठवीं में पढ़ रहा है

[1] शासकीय [2] स्थानीय निकाय [3] शासकीय अनुदान प्राप्त

11. क्षेत्र जहाॅ स्कूल स्थित है

[1] ग्रामीण [2] शहरी

12. परीक्षा का माध्यम [1] हिन्दी [2] अंग्रेजी

13. पिता की शिक्षा [ ] **14.** पिता का व्यवसाय [ ]

15. माता की शिक्षा [ ] 16. माता का व्यवसाय [ ]

17. माता पिता या पालक का मोबाईल नं. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

18. माता–पिता की सकल वार्षिक आय (अंकों में) रूपये .... शब्दों में ....

19. माता–पिता की सकल वार्षिक आय का वर्गीकरण [1] रू. 50000 तक [2] (रूपये 50001 से 100000 तक) [3] (रूपये 100000 से 150000 तक)

20. विद्यालय/संकुल केन्द्र का टेलीफोन न. –

[ ][ ][ ][ ][ ] एस.टी.डी.कोड [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] फोन नंबर

21. ई–मेल [ ]

22. छात्र का खाता क्र. *

बैंक का नाम *

शाखा का नाम *

आईएफएससी कोड *

(Steric colomns are mandatory)

संकुल प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक का प्रमाणीकरण

- प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु ....शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालय का/की नियमित छात्र/छात्रा है।
- विद्यार्थी ने ☐ ग्रेड प्राप्त कर सातवीं कक्षा उत्तीर्ण की है (केवल A,B,C ग्रेड प्राप्त)
- विद्यार्थी के माता–पिता की सकल वार्षिक आय रूपये 1.50 लाख (अक्षरों में एक लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नहीं है।
- प्रमाण पत्र के अनुसार श्री /कु..की जाति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति है। (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाए)
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र के अनुसार श्री/कु. ....निःशक्त श्रेणी के (विकलांग) है। इनकी विकलांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या इससे अधिक है।
- प्रधानाध्यापक का मोबाईल नं. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
- संकुल प्राचार्य का मोबाईल नं. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
- उक्तानुसार आवेदन पत्र में भरी गई सभी जानकारी का मिलान कार्यालयीन रिकॉर्ड से कर लिया गया है।

दिनांक...............................

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम ....

प्राचार्य/प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर

नाम ....

पद मुद्रा सहित

संकुल प्राचार्य के हस्ताक्षर

नाम ....

पद मुद्रा सहित

आवेदन पत्र भरने के निर्देश

NMMSS चयन परीक्षा का आवेदन पत्र भरने से पहले नीचे दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें –

1. NMMSS योजना के तहत आवेदन पत्र भरने हेतु पात्रता की शर्ते –
   - इस छात्रवृत्ति हेतु केवल म.प्र. में स्थित शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2019–20 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही पात्र है।
   - विद्यार्थी ने कक्षा 7वीं में A, B अथवा C ग्रेड प्राप्त किया हो।
   - विद्यार्थी के माता–पिता की सकल वार्षिक आय रू. 1,50,000/– या उससे कम हो।
2. केवल नीले या काले बाल पेन से ही आवेदन पत्र भरें। अंग्रेजी में केवल केपिटल अक्षरों का ही प्रयोग करें। बाक्स से बाहर न लिखें।
3. बिन्दु क्र. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 19 में सही स्थान के लिए बॉक्स में √ का निशान लगाए।
4. बिन्दु क्र. 13, 14, 15, 16 में कोड क्र. नीचे दी गई तालिका में दिए गए विवरण अनुसार भरें।

कोडिंग प्लान

माता–पिता की शिक्षा बिन्दु क्र. 13 एवं 15

शिक्षा	कोड
अनपढ़/पूर्व प्राथमिक स्तर तक	1
प्राथमिक स्तर तक	2
उच्चतर प्राथमिक(मिडिल) तक के लिए	3
माध्यमिक (सेकेण्डरी) स्तर तक	4
उच्चतर माध्यामिक(सीनियर सेकेण्डरी) तक के लिए	5
स्नातक (ग्रेजुएशन)	6
स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन)	7
डाक्टोरेट (पी.एच.डी.)	8
व्यवसायिक (इंजीनियर, चिकित्सक, एमसीए, एमबीए)	9
अन्य कोई	10

माता–पिता का व्यवसाय बिन्दु क्र. 14,16

व्यवसाय	कोड
व्यवसायी, तकनीकी और इससे संबंधित	1
प्रशासनिक, प्रबंधकीय	2
लिपिकीय या संबंधित कार्य	3
सेल्स/सर्विस वर्कर	4
किसान, मछुआरा या संबंधित कार्य	5
उत्पादक और परिवहन व उससे संबंधित कार्य	6
ऑपरेटर और श्रमिक जो उपर्युक्त श्रेणी में सम्मलित नहीं	7
बेरोजगार	8

5. आवेदन पत्र में नियत स्थान पर विद्यार्थी का पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो अच्छी तरह चिपकाया जावे तथा प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यार्थी के फोटो पर नीचे की ओर हस्ताक्षर एवं उसके नीचे पदमुदा से इस प्रकार सत्यापित किया जावे कि फोटो में विद्यार्थी का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
6. संकुल प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक के प्रमाणीकरण में यदि विद्यार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का है तो संबंधित प्रविष्टि करते हुए जाति प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जावे।
7. NMMSS छात्रवृत्ति योजना के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को भारत सरकार द्वारा आरक्षण नहीं दिया जाता है, वरन उन्हें सामान्य वर्ग में ही मान्य किया जाता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र

विद्यार्थी आवेदन पत्र के बिंदु कमांक 6 में सामान्य के खाने में √ का निशान लगाएं तथा उन्हें पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

8. निःशक्तजन (विकलांग) श्रेणी के आरक्षण की पा त्रता 40% या अधिक विकलांगता रखने वाले विद्यार्थी को है। अतः विकलांग श्रेणी के आवेदक द्वारा सक्षम अधिकारी के निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जावे।

9. आवेदन पत्र सही–सही भरा जावे तथा विद्यार्थी/आवेदक के हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा तथा संकुल प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित कर प्रमाणीकरण कराया जावे। तत्पश्चात अपने क्षेत्र के निकटतम कियोस्क केन्द्र पर जाकर भरे हुए आवेदन पत्र की प्रविष्टि ऑनलाइन भरवाई जाये। प्रत्येक आवेदन पत्र की प्रविष्टि उपरांत पावती (रसीद) की दो प्रति प्रदान की जावेगी। इसकी एक प्रति विद्यार्थी के पास तथा दूसरी प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर इसे संकुल प्राचार्य के कार्यालय में जमाकर एक वर्ष तक सुरक्षित रूप से रखा जावेगा।

10. NMMSS परीक्षा का परिणाम घोषित होने के उपरांत अर्ह घोषित किए गए विद्यार्थी का आवेदन पत्र जो पूर्व निर्देश अनुसार संकुल प्राचार्य कार्यालय में सुरक्षित रहेगा। विहित आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र तथा संबंधित छात्र के निकटतम भारतीय स्टेट बैंक (SBI) या राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए बचत खाते एवं बैंक शाखा के आई.एफ.एस.सी. कोड इत्यादि की सही जानकारी एवं पासबुक से संबंधित पृष्ठ की छायाप्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करें, जहाँ इसे छात्रवृत्ति अवधि में (4 वर्ष तक) सुरक्षित रखा जावेगा। आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ कार्यालय को उपलब्ध करवायेंगे।

11. म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक F/4112 R/08/बीस–2/भोपाल दिनांक 31.12.2008 अनुसार NMMSS छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थी के माता–पिता/अभिभावक द्वारा विहित प्रारूप में दिए गए शपथ पत्र को आय–प्रमाण पत्र के रूप में मान्य किया जाएगा। (प्रारूप संलग्न)

12. आवेदन पत्र की Online प्रविष्टि के समय प्रत्येक विद्यार्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर स्केन किए जाएंगे। इस हेतु प्रत्येक विद्यार्थी की पासपोर्ट साइज के एक अतिरिक्त फोटो के साथ कियोस्क पर उपस्थिति आवश्यक होगी। आधार कार्ड पर लगा फोटो स्केनिंग के लिए मान्य नहीं होगा।

jkT; f'k{kk dsUnz e-iz- Hkksiky

jk"Vªh; izfrHkk [kkst izFke p;u ijh{kk 2019&2020 ¼NTSE½
¼d{kk& 10 oha ds v/;;ujr fo|kfFk;ksa ds fy,½
ijh{kk fu;e iqfLrdk

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा वर्ष 2019–20 दिनांक 03 नवम्बर 2019 को जिला स्तरीय परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा प्राथमिक रूप से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित की जाने वाली द्वितीय स्तर की परीक्षा दिनांक 10 मई 2020 के लिए राज्य से प्रत्याशियों की निर्धारित संख्या 530 को अनुमोदित करती है। वर्ष 2019–20 में मध्यप्रदेश राज्य हेतु निर्धारित संख्या 530 है। अंतिम चयन हेतु राज्यों का कोई कोटा निर्धारित नही है।

1. ik=rk & म.प्र. राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 10 वी में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। दूरस्थ मुक्त शिक्षा (ओपन स्कूल) में पंजीकृत ऐसे छात्र जो 1 जुलाई 2018 को 18 वर्ष से कम उम्र के हो कहीं कार्यरत न हो एवं कक्षा 10वी की परीक्षा में पहली बार सम्मिलित हो रहें हो भी छात्रवृत्ति के लिए पात्र है।
2. Nk=ofRr & राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली द्वारा आयोजित परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। द्वितीय स्तर की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय स्तर से 1000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की राशि निम्नानुसार है–
    1. कक्षा XI एवं XII के लिए 1250/– प्रतिमाह
    2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर कक्षाओं के लिए 2000/– प्रतिमाह
    3. Ph.D के लिए UGC नार्मस के अनुरूप
3. vkj{k.k& प्रथम चयन परीक्षा हेतु म.प्र. राज्य के नियमानुसार आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 10 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग हेतु 14 प्रतिशत, अनुसूचित जाति हेतु 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु 20 प्रतिशत एवं निःशक्त विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक वर्ग में 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होगा। केवल मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी ही आरक्षण के पात्र होंगे। अन्य राज्यों के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी अनारक्षित वर्ग के रूप में विचारित किये जायेंगे। निःशक्तजन अंतर्गत अस्थिबाधित, श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित एवं बहुविकलांग सभी वर्गों के 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता के अभ्यार्थी ही आरक्षण हेतु पात्र होंगे।
4. ijh{kk ,oa vkosnu gsrq egRoiw.kZ frfFk;k&

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	08/08/2019
आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	08/09/2019
परीक्षा दिनांक व दिन	03/11/2019
परीक्षा शुल्क	निःशुल्क

5. ijh{kk fooj.k %& jkT; Lrjh; ijh{kk LVst&1 fnukad 03-11-2019

ijh{kk fnukad	iz'u Ø-	le;	iz'uksa dh la[;k	dqy vad	le;kof/k	vgZrkdkjh vad	• नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। • छात्रों को दोनों (MAT,SAT) प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। • छात्रों का चयन, प्राप्तांको के आधार पर Merit Basis पर किया जायेगा।
03.11.19	प्रश्न पत्र–1 MAT	प्रातः 10:00 से 12:00 (दृष्टि बाधित के लिए) 10:00 से 12:30	100	100	120 minutes (2 घंटे)	32% Sc,St 40% Gen 40% OBC/ EWS	
	प्रश्न पत्र–2 SAT	दोपहर 01:30 से 03:30 (दृष्टि बाधित के लिए) दोपहर 01:30 से 3:30)	100 विज्ञान– 40 गणित– 20 समाजिक विज्ञान–40	100	120 minutes (2 घंटे)		

नोट – प्रत्येक अभ्यार्थी परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित समय से आधा घण्टा पूर्व (सुबह 9:30 बजे एवं दोपहर 1:00 बजे) अनिवार्य रूप से पहुँचे।

- मानसिक योग्यता परीक्षा –इसके अंतर्गत कुल 100 प्रश्नों में समजातता,वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन–विकोडन, खंड समुच्चय समस्या सुलझाने आदि पर आधारित प्रश्न होंगे।
- .शैक्षिक योग्यता परीक्षण– इसके अंतर्गत कुल 100 प्रश्नों में से 40 प्रश्न विज्ञान के (भौतिक शास्त्र– 13, रसायन शास्त्र– 13, जीव विज्ञान– 14 प्रश्न), 40 प्रश्न सामाजिक विज्ञान (इतिहास– 15, भूगोल– 15, राजनीति शास्त्र– 05, अर्थशास्त्र– 05) तथा गणित विषय– 20 प्रश्न होंगे।

6 ikB;de& राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नही है। यद्यपि प्रश्नों का स्तर मध्यप्रदेश राज्य में मान्य विभिन्न परीक्षा बोर्ड के कक्षा 9वीं एवं 10वीं की परीक्षा के समान होगा।

7 le; lkj.kh jkT; Lrj ij gksus okyh LVst&1 ijh{kk fnukad 03-11-2019

ijh{kk fnukad ,oa fnu	ijh{kk dk uke	ijh{kk iz'ui=	ijh{kk ikjEHk le;	mRrj'khV forj.k le;	mRrj'khV esa vko';d tkudkfj;k Hkjus dk le;	iz'u&i= forj.k le;
03.11.2019 (रविवार)	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा	मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक(दृष्टिवाधित के लिए) 10:00बजे 12:30	प्रातः 09:45	प्रातः 09:45 से 10:00 बजे तक	प्रातः 09:55 बजे से
		शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	दोपहर 01:30 बजे से 03:30 (दृष्टिवाधित के लिए) 01:30बजे 04:00	दोपहर 01:15	दोपहर 01:15 बजे से 01:30 तक	दोपहर 01.25 बजे से

8. vkonu dh izfdz;k ,oa izos'k i= dh izkfIr &

8.1 bl ijh{kk grq vkonu dsoy vku ykbu gh Lohdkj fd;s tk;xA fdlh Hkh izdkj esU;vy vFkok Mkd }kjk Hkst x;s vkonu i= Lohdkj ugh fd;s tk;xs vkonu i= Hkjus dh vfre frfFk 08@09@2019 gA

8.2 आवेदन पत्र की हार्डकापी एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र से या एमपीऑनलाइन की बेवसाइट http:/www.mponline.gov.in पर दिनांक 08/08/2019 से प्राप्त होगी। राज्य शिक्षा केन्द्र के लोगो पर क्लिक करने पर NTSE लिंक मिलेंगी, NTSE लिंक को क्लिक करके आवेदन पत्र प्राप्त होगा।

8.3 अभ्यार्थी को आवेदन पत्र की हार्डकापी पूर्ण रूप से भरने के बाद संस्था प्राचार्य एवं संकुल प्राचार्य से सत्यापित करवानी होगी।

8.4 अभ्यार्थी पूर्ण रूप से भरा एवं संकुल प्राचार्य/संस्था प्राचार्य से सत्यापित किया हुआ आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र में ले जाकर ऑनलाइन एंट्री करवायेगा।

8.5 आवेदन की ऑनलाइन एंट्री के बाद दो प्रतियों में रसीद प्राप्त होगी। यदि रसीद के ऊपर आवेदन अपूर्ण अंकित है तो अभ्यार्थी आवेदन की कमी को पूर्ण करें। आवेदन पूर्ण की रसीद प्राप्त होने पर आवेदन मान्य किया जायेगा। आवेदन पूर्ण अंकित रसीद की दो प्रतियों में से एक प्रति स्वयं अपने पास रखे एवं दूसरी प्रति आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ लगाकर संबंधित संकुल प्राचार्य के कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करेगें। संकुल प्राचार्य आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) में भेजेंगे। जिन जिलों में डाइट नहीं हैं वहां संकुल प्राचार्य, जिला शिक्षा केन्द्र (डी.पी.सी कार्यालय)को आवेदन–पत्र सूचीबद्ध करके भेजेंगे। डाईट/डी.पी.सी.कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र अंतिम रूप से सूचीबद्ध कर राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल को भेजे जावेंगे।

8.6 स्वंय के नाम का जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑन लाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।

8.7 ऑन लाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही प्रवेश पत्र जारी किये जायेंगे।

8.8 आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा।

8.9 आवेदन पत्र की हार्ड कापी पर निर्धारित स्थान पर नवीनतम फोटोग्राफ चस्पा किया जाना चाहिए।

8.10 ऑन लाइन आवेदेन पत्र की हार्ड कापी के साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन व साईज 3.5 X 4. 5 से.मी. का होना चाहिये, जिसकी गुणवत्ता अच्छी होना चाहिये।

8.11 पोलोराइड, (Polaride) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। आधार कार्ड पर लगा हुआ फोटोग्राफ भी मान्य नहीं होगा।

8.12 काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा।

8.13 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे किये जाने चाहिए।

8.14 आवेदन पत्र में लघु हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

8.15 अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर नही किये जाने है।

8.16 आवेदन पत्र में एक से अधिक हस्ताक्षर नही होना चाहिए।

8.17 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए।

8.18 प्रवेश पत्र अक्टूबर माह के तृतीय सप्ताह से एमपीऑनलाइन के लिंक बेवसाइट http:/www.mponline.gov.in पर उपलब्ध होंगे जिन्हें अभ्यार्थी स्वयं डाउनलोड कर सकेगे।

9. ijh{kk dk ek/;e& परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।

10. ijh{kk 'kYd& इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है ।

11. iqueY;kdu& इस परीक्षा हेतु पुनः परीक्षण/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नही है।

12. ;k=k HkRrk& परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने –जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

13. egRoi.k funs'k&

13.1 परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहुंचना अनिवार्य है।

13.2 परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट बाद तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

13.3 परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर्यवेक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।

13.4 परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार कि किताब या कापी ,सेल्युलर, मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा किसी प्रकार की इलेक्ट्रानिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

13.5 ijh{kk gkWy e yk tku grq vko';d lkexh %& io'k&i=] dkoy dkyk @uhyk ckWylokbV iuA ty iu dk mi;kx ekU; ugh gkxkA

13-6 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होगे, प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर होगें जिनमें से एक सही होगा।

13.7 इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नही है।

13.8 आवेदक अपना भरे हुए हार्डकापी आवेदन–पत्र की छायाप्रति संभाल कर रखें, जिसके आधार पर ही लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र एमपीऑनलाइन से प्राप्त किया जा सकेगा।

13.9 प्रश्नपत्रों के बीच छात्रों को कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

14. ijh{kk dUnz %&

परीक्षा मध्यप्रदेश के 51 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। किसी परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त किया जायेगा परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश पत्र पर अंकित होगी।

15. vufpr lk/ku %&

निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन के अंतर्गत माना जावेगा :–

15.1 परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

15.2 अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

15.3 परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

15.4 परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

15.5 अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्न–पुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

15.6 अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्न–पुस्तिका की अदला–बदली करना।

15.7 ijh{kk d{k e fdlh Hkh idkj fd fdrkc ;k dkih]lY;yj] ekckby Qku] dYdyVj] ykx VcYl] udy ipk] byDVkfud ;= vkfn dk mi;kx i.krk oftr g] bue l dkb Hkh lkexh ik; tku ij ijh{kkFkh }kjk ml lkiu l bdkj djuk ;k ml Lo; u"V djukA

15.8 नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

15.9 सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

15.10 सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

15.11 परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यार्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यार्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यार्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

16. eY;kdu i)fr %& वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

17. fyf[kr ijh{kk e fu'kDrtu vH;fFk;k dk fy, miyC/k lfo/kk,l %&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–8–2/05/आ.प्र. /एक, दिनांक 08.09. 2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक (शासकीय) के प्रमाणी करण एवं सिविल सर्जन के प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :–

(17.1) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :–

17.1.1 दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।

17.1.2 मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।

17.1.3 ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो।

17.1.4 दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो।

(17.2) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :–

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यार्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे NCERT के नियमानुसार 30 मिनिट की अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :–

(17.3) लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :–

17.3.1 लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।

17.3.2 लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी यथा लेखन लिपिक का नाम पिता का नाम अध्ययनरत शाला एवं अध्ययनरत कक्षा का संबंधित संस्था प्राचार्य द्वारा

प्रमाणीकरण, अभ्यार्थी द्वारा संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष को प्रस्तुत कर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगी।

(17.4) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाऍं :—

17.4.1 परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाऍं मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जायेगा।

17.4.2 ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

ukV& fdlh Hkh idkj dh dfBukbZ gksus ij fujkdj.k grq nwjHkk"k ucj 0755-2559952@MP Online 0755-6720200 ij lEidZ djsaA

- Nk= dk }kjk vkonu i= eas Hkjh xbZ tkudkjh ykWd gksus ds ckn ifjofrZr ugha dh tk;sxh Ñi;k tkudkjh Hkjus ls iwoZ ijh{kk fu;e iqfLrdk dk lko/kkuhiwoZd voyksdu djsaA

vij lapkyd
jkT; f'k{kk dsUnz
Hkksiky